

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
पत्रांक: 1916/14-1 दिनांक, बुलन्दशहर, 19 दिसम्बर, 2016
सेवा में,

वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त, मेरठ।

विषय:- अलीगढ़-मुरादाबाद सेक्सन एन0एच-93 के चौडीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 250 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में किमी0 126.000 से 133.860 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 61 वृक्षों के पातन, संभल में किमी0 142.220 से 205.00 तक 32.7792 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.00 से 232.00 तथा 14.4852 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य, लखनऊ का पत्रांक 8बी0/93/2016/एफ0सी0/370 दिनांक 03.11.2016, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 968/समेकित/7444/2014/यू0पी0-14 दिनांक 04.11.2016 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद का पत्रांक- 1213/14-1 दिनांक 23.11.2016, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुरादाबाद का पत्रांक 31013/1/2010/पी0 आई0पी0 मुरादाबाद 7441 दिनांक 09.12.2016 एवं प्रभागीय निदेशक मुरादाबाद का पत्रांक 1457/14-1, दिनांक 15.12.2016


महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य, लखनऊ ने संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में कुछ कमियां/आपत्ति दर्शायी गयी थी। संदर्भित पत्र में दर्शायी गये बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या/सूचना निम्न प्रकार है:-

Observ NO	Observation of GOI	Reply
1	The short narrative of proposal submitted online does not provide relevant information.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
2	The copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency is incorrect.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
3	At B-1 information regarding previous approval shows that two approvals in principle has been accorded in 2012 and 2013 but stage II/final approval is still pending. This issue requires clarification/factual position.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
4	The data provided for village wise breakup of non forest land at B-2.3 does not tally with the data provided at A 1 (ix).	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
5	The employment generation data at E is incorrect.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
6	The proposal has been submitted without providing kml files in CD for proposed forest land diversion and proposed compensatory afforestation.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
7	The kml file for proposed forest land diversion (uploaded with online proposal) is in polyline format rather polygon format. This needs revision.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
8/SPS/SURV	As per GIS DSS analysis of proposed compensatory afforestation patches of Datiyana shows existence of Medium Dense Forest. This needs to be changed.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
9	The topo sheets uploaded for location of proposed forest land diversion do not show location of diversion and legend	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।

	is also incorrect.	
10	The geo referenced maps uploaded for proposed forest land diversion are without geo coordinates of key points.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
11	The cost benefit analysis attached with the proposal is not correct and needs revision.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
12	Some pages of forest land gazette notification are not legible and are without authentication.	बुलन्दशहर वन प्रभाग के संरक्षित वन के गजट की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न है।
13	The land schedule for various districts shows requirement of different width of PF on different chainages. The variation in width requirement at various chainages has not been explained.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
14	The certificate regarding proposed diversion having minimum 10 km distance from protected area has not been uploaded for Social Forestry Division Bulandshahar.	राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण के संबंध में तथा 10 किमी० परिधि के अन्तर्गत न होने का प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
15	The crown density for proposed forest land diversion has been shown as 1.457 which is incorrect. The value varies from 0 to 1.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
16	The compensatory afforestation scheme for Social Forestry Division, Aligarh is without incorporating cost escalation due to inflation.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
17	NPV calculation of proposed forest area for Social Forestry Division. Aligarh is incorrect.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
18	In Social Forestry Division Aligarh case additional compensatory afforestation on blank patches near road side has been provided. The additional compensatory afforestation proposed is without specific recommendation of the State Government.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
19	As per the District Profile mentioned at Sr. no. 14 of part II. a. The forest area of Social Forestry Division, Moradabad is less than the forest area diverted since 1980. b. The forest area of Social Forestry Division, Sambhal is mentioned as zero, then why proposal for forest land diversion has been sent?	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
20	The site inspection report of DFO Moradabad has not been uploaded.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
21	The site inspection report of CF (Aligarh) is not in prescribed format.	बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 बुलंदशहर

संख्या 1916 / 147 दिनांकित।

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण अधिनियम-1980) उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० मुरादाबाद को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

E/SPS/SURV


 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 बुलंदशहर